रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 177] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 1973/श्रावण 3, 1958
No. 177] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 1973/SRAVANA 3, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July 1973

G.S.R. 363(E).—In pursuance of the provisions of clause (m) of section 2 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 (26 of 1973) and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines), No. G.S.R. 312(E), dated the 12th June, 1973, the Central Government hereby specifies the 1st day of August, 1973 as the specified date for the purpose of sub-section (3) of section 14 of the said Act and further directs that the following amendment shall be made in the said notification, namely:—

In the Table to the said notification, against entry "1. Sub-section (3) of section 14" in column (1), for the entry "16-6-1973" in the corresponding entry in column (2), the entry "1-8-1973" shall be substituted.

[No. 101(18)/73-CII.]

P. K. LAHIRI, Director.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1973

जी० एस० आर० 363 (अ).—कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (1973 का 26) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपबन्धों के अनुसरण में और भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 312 (ई), तारीख 12 जून, 1973 के आंशिक उपान्तरण में, केन्द्रीय सरकार 1 अगस्त, 1973 के दिन को उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है और आगे निदेश देती है कि उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, स्तम्भ (1) में

"1. धारा 14 की उपधारा (3)" प्रविष्टि के सामने, स्तम्भ (2) में, तत्स्थानी प्रविष्टि में "16-6-1973" प्रविष्टि के स्थान पर "1-8-1973" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[सं० 101 (18)/73-सी०2]

पी० के० लाहिरी, निदेशक ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973